

हरबसाइड टॉलरेंट (HT) बीटी कॉटन

प्रलिस के लयि:

हरबसाइड टॉलरेंट (HT) बीटी कॉटन

मेन्स के लयि:

HTBT कपास से संबधति मुद्दे

चर्चा में क्यों?

हरबसाइड टॉलरेंट (HT) बीटी कपास की अवैध खेती में भारी उछाल देखा गया है क्योंकि अवैध बीज पैकेटों की बिक्री वर्ष 2020 के 30 लाख से बढ़कर वर्ष 2021 में 75 लाख हो गई है।

प्रमुख बढि:

बीटी कॉटन:

- बीटी कपास एकमात्र ट्रांसजेनिक फसल है जसिे भारत में व्यावसायिक खेती के लयि केंद्र द्वारा अनुमोदति कयिा गया है।
- कपास के बोलवरम का एक सामान्य कीट का मुकाबला करने हेतु कीटनाशक का उत्पादन करने के लयि आनुवंशिक रूप से संशोधति (GM) कयिा गया है।

हरबसाइड टॉलरेंट बीटी (HTBT) कपास:

- HTBT कपास संस्करण संशोधन की एक और परत को जोड़ता है, जसिसे पौधा हरबसाइड ग्लाइफोसेट के लयि प्रतिरोधी बन जाता है, लेकनि नियामकों द्वारा इसे अनुमोदति नहीं कयिा गया है।
- आशंकाओं में ग्लाइफोसेट का कार्सिनोजेनिक प्रभाव होता है, साथ ही परागण के माध्यम से आस-पास के पौधों में जड़ी-बूटयिों के प्रतिरोध का अनयित्प्रति प्रसार होता है, जसिसे वभिन्नि प्रकार के सुपरवीड बनते हैं।

HTBT कपास का उपयोग करने की आवश्यकता:

- **लागत में कमी:** बीटी कपास के लयि कम-से-कम दो बार की नरिई करने हेतु आवश्यक श्रम की कमी है।
 - HTBT के साथ बना नरिई के केवल एक राउंड ग्लाइफोसेट छड़िकाव की आवश्यकता होती है। यह कसिनों के लयि 7,000 से 8,000 रुपए प्रति एकड़ की बचत करता है।
- **वैज्ञानिकों का सहयोग:** वैज्ञानिक भी इस फसल के पक्ष में हैं और यहाँ तक कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कहा है कि इससे कैंसर नहीं होता है।
 - लेकनि सरकार ने अभी भी HTBT मंजूरी नहीं दी है।

एचटीबीटी कपास की अवैध बिक्री से उत्पन्न मुद्दे:

- चूँकि यह जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समति (जीईएसी) द्वारा अनुमोदति नहीं है, इसलयि भारतीय बाजारों में इसकी अवैध बिक्री होती है।
- कपास के बीज की इस तरह की अवैध बिक्री से कसिनों को खतरा है क्योंकि बीज की गुणवत्ता की कोई जवाबदेही नहीं है, यह पर्यावरण को प्रदूषति करता है, यह उद्योग वैध बीज बिक्री को खो रहा है और सरकार को कर संग्रह के मामले में राजस्व का भी नुकसान होता है।
- यह न केवल छोटी कपास बीज कंपनयिों को नष्ट कर देगा बल्कि भारत में कानूनी कपास बीज के पूरे बाजार को भी खतरा होगा।

जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समति:

- जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत कार्य करती है।
- यह पर्यावरण के दृष्टिकोण से अनुसंधान और औद्योगिक उत्पादन में खतरनाक सूक्ष्मजीवों तथा पुनः संयोजकों के बड़े पैमाने पर उपयोग से जुड़ी गतिविधियों के मूल्यांकन के लिये ज़िम्मेदार है।
- GEAC की अध्यक्षता MoEF&CC का विशेष सचिव/अतिरिक्त सचिव करता है और जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) के एक प्रतिनिधि द्वारा सह-अध्यक्षता की जाती है।

आगे की राह:

- नियामक केवल लाइसेंस प्राप्त डीलरों और बीज कंपनियों के लिये अपने चेकगि/वनिियमन को सीमित करते हैं, जबकि HT बीज बकिरी की अवैध गतिविधि ज़्यादातर असंगठित और 'फ्लाइ-बाय-नाइट' ऑपरेटरों द्वारा की जाती है।
 - इस प्रकार उन्हें पकड़ने और मज़बूत दंडात्मक कार्रवाई करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये।
- केंद्र और राज्य सरकार दोनों की सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है। केंद्र ने इस वेरिएंट पर प्रतिबंध लगाने की नीति बनाई है, लेकिन राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिये।
- पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन स्वतंत्र पर्यावरणविदों द्वारा किया जाना चाहिये, क्योंकि किसान पारस्थितिकी और स्वास्थ्य पर जीएम फसलों के दीर्घकालिक प्रभाव का आकलन नहीं कर सकते हैं।

स्रोत- द हट्टि

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/herbicide-tolerant-bt-cotton>

